



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2014/फाल्गुन 19, 1935

No. 121]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2014/PHALGUNA 19, 1935

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2014

सा. का. नि. 173(अ).— प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 20 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दिए गए कालम 2 में उल्लिखित निम्नलिखित विरासत निकायों को अधिनियम की धारा 20 (ड) के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

क्र. सं.	विरासत निकाय का नाम	क्षेत्राधिकार का दायरा
(1)	(2)	(3)
1.	रीच फाउंडेशन, ए-1/3, सेंचुरी एन्क्लेव, 54 कलाक्षेत्र रोड, तिरुवामियूर, चेन्नै 600041	समस्त भारत
2.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, पहली मंजिल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मानित, भोपाल - 51	समस्त भारत
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर - 721302	समस्त भारत
4.	आगा खां संस्कृति न्यास, के - 15, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014	समस्त भारत

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2014

G.S.R. 173 (E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) the Central Government hereby specifies following heritage bodies as mentioned in column 2 of the table given below for the purposes of section 20(E) of the Act.

Sl. No.	Name of Heritage Body	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	REACH Foundation, A-1/3, Century Enclave, 54 Kalakshetra Road, Thiruvanniyur, Chennai-600041	Whole of India
2.	School of Planning and Architecture, 1 st Floor, Sports Complex, MANIT, Bhopal-51	Whole of India
3.	Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur-721302	Whole of India
4.	Aga Khan Trust for Culture, K-15 Jangpura Extension, New Delhi-110014	Whole of India

[फा. सं. 1/9/2012-एम]
प्रवीन श्रीवास्तव, महानिदेशक

[F.No. 1/9/2012-M]
PRAVIN SRIVASTAVA, Director General

1076GI/2014